मुख्य अभियंता–सह–कार्यकारी निदेशक का कार्यालय

प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन)

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड , राँची

डोरंडा बाजार (पानी टंकी परिसर, प्रथम तल) डोरंडा, राँची.–834002 फैक्स/फोन नं.: 0651–2481593

पत्रांक: CCDU/1018/2004 (Part 4) - 49 /SWSM दिनांक 06/12/2017

प्रेषक:

स्वेताभ कुमार,
मुख्य अभियंता सह–कार्यकारी निदेशक।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
Email पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, राँची पूर्वी।

विषय: केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम NRDWP (WQMSP State Share) के अंतर्गत राज्य स्थापना दिवस 2017 के अवसर पर मोरहाबादी मैदान राँची में राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जल सहिया के लिये ड्रेस (साड़ी) क्रय हेतु राज्यांश से रू. 7.90 लाख (सात लाख नब्बे हजार) मात्र का प्राधिकार पत्र के संबंध में।

आदेश: केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम NRDWP (WQMSP State Share) के अंतर्गत राज्य स्थापना दिवस 2017 के अवसर पर मोरहाबादी मैदान राँची में राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जल सहिया के लिये ड्रेस (साड़ी) क्रय हेतु राज्यांश से रू. 7.90 लाख (सात लाख नब्बे हजार) मात्र का प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाता है।

1. प्रत्येक वर्ष 15 नवम्बर को झारखण्ड सरकार के द्वारा मोरहाबादी मैदान राँची में स्थापना दिवस मनाया जाता है।
2. 15 नवम्बर 2017 को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे।
3. राज्य में सक्रिय ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के चयनित जल सहिया को कार्यक्रम में शामिल होने हेतु विभागीय पत्रंक 5088 दिनांक 09.11.2017 द्वारा निदेशित है। इस पत्र के अनुसार कायक्रम में शामिल होने वाली जल सहिया को विभाग द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड के अनुरूप साड़ी दिया जाना है।
4. आपके पत्रांक 1649 दिनांक 22.11.2017 के द्वारा कार्यक्रम में शामिल होने वाली जल सहिया को उपलब्ध करायी गयी साड़ी हेतु रू. 7.90 लाख का प्राधिकार पत्र निर्गत किया जा रहा है।
5. इस प्राधिकार पत्र द्वारा निर्गत राशि से संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने अथवा विभागीय अन्य पदाधिकारी/कर्मचारी के नाम से चेक निर्गत नहीं करेंगे।

कृ० पृ० उ०

6. प्राधिकार पत्र में कर्णांकित राशि का व्यय NRDWP (WQMSP State Share) बैंक ऑफ इंडिया, झारखंड उच्च न्यायालय शाखा, राँची में स्थित प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के बैंक खाता सं० 495810110001443 में उपलब्ध राशि से किया जायेगा।

7. संबंधित कार्यपालक अभियंता राशि की निकासी बैंक ऑफ इंडिया, झारखण्ड उच्च न्यायालय शाखा द्वारा संबंधित प्रमण्डलों को निर्गत चेक पुस्तिका (Cheque Book) से करेंगे। संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि की निकासी एवं व्यय प्राधिकार पत्र में अंकित राशि के अधीन करेंगें। तदनुसार इससे संबंधित व्यय प्रतिवेदन बैंक एवं PMU को प्रतिवेदित करेंगे।

8. संबंधित कार्यपालक अभियंता NRDWP Programme के मासिक लेखा के साथ अलग से Support & WQMSP का भी मासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र PMU में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

9. इसका दोहरीकरण किसी अन्य योजना से नही हो रहा है, यह सुनिश्चित कर निर्गत राशि का व्यय करेंगें। निर्गत राशि का व्यय संबंधित मदों पर ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति मे अन्य कार्यो या मदों में राशि का विचलन कर व्यय नही किया जाय।

10. योजना का वित्तीय/ भौतिक प्रगति का Online Entry नियमित रूप से करेंगे। बैंक से की गई निकासी संबंधित मासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वित्तीय/ भौतिक प्रगति का Online Entry प्रत्येक माह की 9 तारीख तक PMU को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

11. निर्गत राशि का व्यय NRDWP की मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अनुरूप करेंगें। लेखा का अकेक्षण एवं भौतिक/वित्तीय उपलब्धि/ उपयोगिता प्रमाण पत्र NRDWP कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुरूप नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

12. निर्गत प्राधिकार पत्र वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मान्य होगा।

(स्वेताभ कुमार) 6/12/17

मुख्य अभियंता सह–कार्यकारी निदेशक

ज्ञापांक: CCDU/1018/2004 (Part 4) - 49 /SWSM दिनांक 06/12/2017

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव /अभियंता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

2. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, राँची /निदेशक (PMU), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ अग्रसारित।

3. बैंक प्रबन्धक, बैंक ऑफ इंडिया, झारखण्ड उच्च न्यायालय शाखा, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है, कि इस प्राधिकार पत्र के अनुरुप NRDWP कार्यक्रम अन्तर्गत PMU के खाता सं० 495810110001443 में NRDWP **(WQMSP State Share)** में उपलब्ध राशि से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, एवं महालेखाकार द्वारा प्रतिनियुक्त लेखा पदाधिकारी/वरीय लेखा पदाधिकारी के हस्ताक्षर के प्राप्त नमुने के आलोक में कार्यपालक अभियंता के पदनाम से जारी चेक पर कार्यपालक अभियंता एवं लेखा पदाधिकारी/वरीय

कृ० पृ० उ०

लेखा पदाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित रहने के उपरान्त ही प्राधिकार पत्र में अंकित राशि के अधीन राशि की निकासी सुनिश्चित की जाय। बैंक प्रत्येक माह NRDWP (Support+WQMSP) निधि का लेखा नियमित रूप से DDO's, PMU, भारत सरकार एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को उपलब्ध करायेंगे। बैंक द्वारा सभी कार्यपालक अभियंताओं के लिए योजनावार अलग–अलग Ledger संधारित किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि की सूचना तुरंत PMU तथा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. संबंधित अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड/ निदेशक/ उप निदेशक – I, / राज्य समन्वयक (M&E)/ IT प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(स्वेताभ कुमार) 6/12/17

मुख्य अभियंता सह–कार्यकारी निदेशक